

11/10/24

पत्रिका प्रकाशक द्वारा वकील प्रार्थी श्री नादायण भास्कर
महोदय उपस्थित। प्रार्थी के अधिकारता ने प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी अपील
को आगे नहीं चलाया जाता है। अतः अपील
को Not Press में फेंका जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा अपील को आगे
नहीं चलाने के कारण Not Press में खारिज की
जाती है। प्रार्थना पत्र शासी मालिक को पत्रिका
फेंका हुआ होना संभव है।

[Signature]
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)



Not Press
Amal